

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

दिनांक : १७/८/११

क्रमांक : ए.४ (१) लेखा/बजट प्लान/११/३९१७

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सीकर।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं० ४७-४८ की अनुपालना मे नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र मे सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष २०११-१२ मे आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

संदर्भ :- राज्य सरकार की स्थीकृति क्रमांक : प.१७(१४)चि.स्वा./२/०९ जयपुर दिनांक २६.०८.२०११

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित स्थीकृति दिनांक २६.०८.२०११ (संलग्न) के क्रम मे लेख है कि वर्ष २०११-१२ मे माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं० ४७-४८ की अनुपालना मे नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र मे सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष २०११-१२ मे आयोजना मद मे राशि रु. २.२५ लाख (अक्षरे राशि दो लाख पच्चीस हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है :-

Name of CHCs	No. of New DDC's	4210-01-796-(02)-011 28-Other Exp.
Neem ka Thana	1	2.25

यह राशि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज को संलग्न अनुसार अग्रिम दी जानी है। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त किया जाये तथा समायोजन नियमानुसार समय पर सुनिश्चित किया जाये।

इस बजट का उपयोग राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/२०११-१२/१७८ दिनांक १०.०८.२०११ द्वारा सूचित अनुसार ही करना है तथा अकित्त कार्यों को निश्चित समयावधि मे पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

निर्देश :-

- प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत मे उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
- आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आई.एफ.एम.एस. की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
- उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
- इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.४(१) लेखा/बीएनपी/११/४५३ दिनांक १०.०५.११ मे दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
- समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावे तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि मे भिजवाये।

संलग्न : लॉर्ड ऑफ़ ट्रीटमेंट

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.४ (१) लेखा/बजट प्लान/११/३९१७

दिनांक : १७/८/११

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवायें, राज० जयपुर।
- प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।
- संबंधित कोषाधिकारी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

पा.पौ.पा. पा. ८६३-८०,०००-११

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक ०१७(१४)चित्ता / २/०९

जयपुर, दिनांक: २६/५/११

निदेश १(जन रवा)

भावि. रा. एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजोजयपुर।

विषय:—अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

॥इति ।।

परोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट शीर्ष 4210-01-796-(02) ०१] २८-विध व्यय (आयोजना) में राशि रु० २२५,०० लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ पच्छीस लाख बाह्य) व। अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज को स्थानांतरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति गिम्ना। केता राशि के अध्यधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है।

- (१) उक्त रवीकृति राशि का उपयोग नवीन १०० डी.डी.सी. (प्रति डी.डी.सी.रु० २.२५ लाख की दर से) निर्भित करने हेतु ही किया जा सकेगा।
(२) उक्त रवीकृत अग्रिम राशि का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार। निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करायें।
(३) उक्त रवीकृत अतिरिक्त प्रावधान का समायोजन अनुपूरक अनुदान भाँग/संशोधित अनुमा।। वर्ष २०११-१२ में यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करायें।

२६/५/२५। उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-१)विभाग की आई.डी.संख्या 101102908 दिनांक २६.०५.११ तारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

५
(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रति। पि निम्न। केत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- १-पि. नी सचि। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
२-पि. नी निः। क(एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजोजयपुर।
३-पि. नी लेखा। परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राजोजयपुर।
४-श। नी उप सचिव, वित्त(व्यय-१/बजट/आयोजना) विभाग, राजोजयपुर।
५-पि. नी राजीय सत्राहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजोजयपुर।
६-पि. नी अधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
७-ए। ल. प्रांगली।
८-राजीव प्रांगली।

उमरी
लेखाधिकारी